पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जून, 2010 ई0 (आषाढ़ 05, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–26

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	177–179	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	117–122	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	91–93	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

दिनांक 17 मई, 2010

संख्या 731/XXX–1–10–23(22)/2003–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 780 (एम0बी0) वर्ष 2003 ममता बिष्ट बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 26–10–2005 को पारित निर्णय के अनुपालन में तथा प्रकरण सम्बन्धी महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या 113/xIII-d-Admin.A/2010, दिनांक 8 जनवरी, 2010 को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा–2002 के आधार पर श्रीमती ममता बिष्ट, पत्नी श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट, लीला निवास, न्यू भारत होटल के पीछे, जू रोड तल्लीताल, नैनीताल को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान रु0 9,000–250–10,750–300–13,150–350–14,550 में निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति प्रदान करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– श्रीमती ममता बिष्ट की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट न्यायिक सेवा के लिए उपयुक्त हो। यदि रिपोर्ट उपयुक्त नहीं पायी जाती है अथवा कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

2– यह नियुक्ति मा0 उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23438 वर्ष 2005 लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल बनाम ममता बिष्ट व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1014 वर्ष 2006, उत्तराखण्ड राज्य बनाम ममता बिष्ट में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2–श्रीमती ममता बिष्ट द्वारा प्रथम नियुक्ति पर महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी और तद्क्रम में उनके द्वारा निर्दिष्ट जनपद में अपने नियुक्ति के पद का कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

आज्ञा से,

डी0के0 कोटिया,
प्रमुख सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति

दिनांक 05 अप्रैल, 2010

संख्या 368/II/2008–01(22)/2008–एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि लघु सिंचाई विभाग के श्रेणी–"क" एवं "ख" के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	श्रेणी "क"			
1.	श्री एस0ए0 असगर	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/प्रभारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (निलम्बित)	18–05–1950	31–05–2010

1	2	3	4	5
	श्रेणी ''ख''			
1.	श्री हेमचन्द्र उप्रेती	सहायक अभियन्ता/प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई (चम्पावत)	18–06–1950	30–06–2010
2.	श्री वी0के0 मित्तल	सहायक अभियन्ता, वृत्त पौड़ी	30–06–1950	30–06–2010

अजय सिंह नबियाल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/314–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जून, 2010 ई0 (आषाढ़ 05, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टिटयूशन ऑफ इन्जीनियर्स (आई0) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर–**ISBT** माजरा, देहरादून।

अधिसूचना

14.05.2010

संख्याः एफ–9(4) / आर.जी. / यूईआरसी / 2010 / 383–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) विनियम 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :–

1.संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन –

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2010 होगा ।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (2) के प्रथम वाक्य का लोप कर निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"प्रत्येक मंच में निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अनुज्ञापी के तीन अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति, प्रेस में उचित विज्ञापन तथा वेबसाईट के माध्यम से, वितरण अनुज्ञापी द्वारा आयोग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।"

यह विनियम अंग्रेजी विनियम अधिसूचना दिनांक 14–05–2010 का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

3. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (5) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए, जो कि दो वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है, नियुक्त किया जाएगा। सदस्य की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष होगी और पद धारण केवल 65 वर्ष तक कर सकते है।"

4. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (9) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"उपरोक्त उप–विनियम (2) के अधीन नियुक्त सभी सदस्यों को देय वेतन, बैठक शुल्क (सीटिंग फीस), मानदेय और/या अन्य भत्ते (जिन्हें सामूहिक रूप से पारिश्रमिक कहा जाता है), उनकी नियुक्ति की शर्तें सम्मिलित करते हुए एक समान होंगे, जैसा भी आयोग द्वारा निहित किया जाता है। न्यायिक तथा उपभोक्ता सदस्य पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त होंगे तथा न्यायिक सदस्य मंच का प्रशासनिक मुखिया होगा।"

5. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (10) में निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"मंच के कुशल संचालन हेतु, वितरण अनुज्ञापी :

(i) एक कार्यालय जिसमें तीन कमरे–तीनों सदस्यों हेतु एक–एक कक्ष, एक सुनवाई हॉल/कक्ष, एक रिकार्ड कक्ष तथा सचिवीय कर्मचारियों हेतु सामान्य कक्ष होगा।

(ii) सदस्यों/सचिवीय कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर्स तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

6. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (14) के द्वितीय वाक्य को परिवर्तित कर निम्न पढ़ा जाएगाः–

"मंच अपनी बैठकें ऐसे प्रमुख कार्यालय तथा वितरण लाईसेन्सधारी के वितरण क्षेत्र के प्रत्येक जिले के किसी अन्य स्थान पर भी करेगा जैसा कि मंच द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए अथवा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्थान जहां से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वितरण अनुज्ञापी के कारोबार के प्रमुख स्थान से निकटता तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर निदेश दिया जाए।"

7. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (16) के अन्त में निम्न जोड़ा जाएगाः–

"किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञापी का पेशेवर सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा तब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, जब तक मंच द्वारा अनुमति न दी जाए। तथापि, जहॉ उपभोक्ता सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का चुनाव करे, तब वितरण अनुज्ञापी को भी यह अधिकार दिया जाएगा।"

8. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (25) के प्रारम्भ में निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः–

"मंच, वितरण अनुज्ञापी या उपभोक्ता, जैसा भी हो, को अनुपालन के लिए अवधि विनिर्दिष्ट करेगा। सामान्यतः यह अवधि 30 दिनों की होनी चाहिए। यदि किसी आदेश के अनुपालन में प्रमुख कार्य/प्रयोजन संभावित हो, तो लिखित कारणों सहित इस 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।"

9. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप विनियमन (28) में प्रयुक्त शब्द "व्यक्ति" को शब्द "उपभोक्ता" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission

Institution of Engineers (I) Building, 1st Floor, Near ISBT, Majra, Dehradun

Notification

14.05.2010

No. F9(II)/RG/UERC/2010/383-In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2007 (Principal Regulations), namely:

1. Short Title, Commencement and Interpretation :

(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2010.

(2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. The first sentence in sub-Regulation (2) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall stand deleted and shall be substituted by the following:

"Each Forum shall consist of three officers of the licensee to be appointed by the Distribution licensee, through proper advertisement in the press and website, after prior approval of the Commission and possessing qualifications and experience as given below:"

3. Sub-regulation (5) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted by:

"Members shall hold office for the term of three years which would be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the Member shall be 62 years and can hold the office only upto the age of 65 years."

4. Sub-regulation (9) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted by:

"The salary, sitting fees, honorarium and/or other allowances (collectively called "Remuneration") payable to all the members appointed under sub-regulation (2) above including their terms of appointment shall be uniform and such as may be prescribed by the Commission. The Judicial and Consumer member shall be appointed as full time members and Judicial Member shall be administrative head of the Forum."

5. Sub-regulation (10) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted by:

"For efficient functioning of the Forum, the Distribution licensee shall provide:

(i) An office space consisting of three rooms one each for the three members, a hearing hall/room, one record room and one common room for the Secretarial staff.

(ii) Computers and other facilities required by the members/Secretarial staff."

6. The second sentence in Sub-Regulations (14) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be modified to read as:

"The Forum shall have sittings at such Principal office and also at any other place **in each district** in the area of supply of the Distribution Licensee as may be decided by the Forum from time to time or as the Commission may direct from time to time considering the number of complaints received, the place from where the complaints are received and the proximity to the principal place of business of the Distribution Licensees and other relevant factors."

7. In sub-regulation (16) of Regulation 3 of the Principal Regulations the following shall be added at the end:

"In any hearing, the Distribution Licensee, shall not be represented by professional counsel, attorney or advocate, unless the Forum so permits. However, where the consumer chooses to be represented by counsel, attorney or advocate, then the Distribution Licensee shall be granted a similar privilege."

8. In sub-regulation (25) of Regulation 3 of the Principal Regulations the following shall be added at the beginning:

"The Forum shall specify the period for compliance by Distribution Licensee or the consumer as the case may be. Normally this period should be 30 days. In case, compliance of the Order involves major work/scope to be done, this period of 30 days may be extended with the reasons to be recorded in writing."

9. In sub-regulation (28) of Regulation 3 of the Principal Regulations the word "person" shall be substituted by the word "consumer".

14.05.2010

संख्याः एफ–9(4)/आर.जी./यूईआरसी/2010/384–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) विनियम 2004 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :–

1.संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2010 होगा ।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. मुख्य विनियम 5 के उप विनियम 1 में निम्न पहला परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

"परन्तु यह कि, किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञापी का पेशेवर सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा तब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, जब तक ऑम्बड्समैन द्वारा अनुमति न दी जाए। तथापि, जहाँ उपभोक्ता सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का चुनाव करे, तब वितरण अनुज्ञापी को भी यह अधिकार दिया जायेगा।"

आयोग के आदेश द्वारा,

पंकज प्रकाश,
सचिव।

14.5.2010

No. F 9 (4)/RG/UERC/2010/384-In exercise of the powers conferred on it by section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after publication, the Commission hereby makes the following Regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Appointment & Functioning of Ombudsman), Regulations, 2004 (Principal Regulations) namely:

1. Short title and Commencement and Interpretation-

(1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Appointment & Functioning of Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2010.

यह विनियम अंग्रेजी विनियम अधिसूचना दिनांक 14–05–2010 का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होंगे

(2) These Regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-regulation 1 of Principal Regulation 5 the following shall be added as first proviso:-

"Provided that in any hearing, the Distribution Licensee, shall not be represented by professional Counsel, Attorney or Advocate, unless the Ombudsman so permits. However, where the consumer chooses to be represented by Counsel, Attorney or Advocate, then the Distribution licensee shall be granted a similar privilege."

By order of the Commission,

PANKAJ PRAKASH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/314–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जून, 2010 ई0 (आषाढ़ 05, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

सूचना

12 मई, 2010 ई0

संख्या–पॉलीथीन / उपनियम / 2009–1–नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) ने यू0पी0 म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट 1916 (यथा संशोधित) की धारा 298(1) (एक) की सूची–1 शीर्षक 'ज' के खण्ड ज(ङ) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत नगर को स्वच्छ बनाये रखने, मानव जीवन तथा पशुजीवन, पर्यावरण तथा प्रदूषण की रक्षा लोक सुरक्षा या सुविधा में अभिवृद्धि की दृष्टि से पॉलीथीन / कैरीबैग या इसी प्रकार की अन्य पॉलीथीन सामग्री, जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, को नियंत्रित व प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से बोर्ड की विशेष बैठक दिनांक 3–12–09 में प्र0सं0 6(4) के अनुसार प्रस्तावित उपविधियों पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपविधियों को म्यु0 ऐक्ट 1916 की धारा 301(1) के अनुरूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' दिनांक 1 जनवरी, 2010 के अंक में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयान्तर्गत कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतः नगरपालिका अधिनियम–1916 (यथा संशोधित) की धारा 298(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त उपविधियों को उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार पॉलीथीन / कैरीबैग नियंत्रण उपविधि–2009 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार की सीमान्तर्गत प्रवृत होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषायें–

(1) जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(क) 'ऐक्ट' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथासंशोधित) से है।

(ख) 'नगरपालिका परिषद्' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, कोटद्वार (गढ़वाल) से है।

(ग) 'नगरपालिका सीमा क्षेत्र' का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है, जो कि शासकीय विज्ञप्ति सं0 822/Xi–37–46, दिनांक मार्च 10, 1949 के अन्तर्गत शासकीय गजट में कोटद्वार नगर की सीमा के लिए प्रकाशित व अनुसूचित की गई है।

(घ) 'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) 'सफाई निरीक्षक' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

(च) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो कोटद्वार नगर की जनता द्वारा पालिका बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो।

(छ) 'पालिका बोर्ड' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है तथा ऐसी कमेटी के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासक या उनके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है।

प्रतिषेध

3–कोई भी व्यक्ति व्यवसायी या दुकानदार नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार के पॉलीथीन/कैरीबैग का भण्डारण, उत्पादन, बिक्री और परिवहन नहीं करेगा और न ही बिक्री हेतु लायेगा।

4–पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी/दुकानदार किसी भी प्रकार का पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का ऐसा कोई पॉलीथीन क्रय/विक्रय नहीं करेगा और न ही बेचने की चेष्टा करेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर में गन्दगी होने की सम्भावना हो।

5–पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान जैसे नदी/स्वयं की भूमि/नाली/मकान/आंगन/बगीचा/शौचालय/मूत्रालय/दुकान के आगे–पीछे ऐसे पॉलीथीन/कैरीबैग अनुपयोगी प्लास्टिक के डिब्बे चायपत्ती के खाली रैपर्स/गुटकों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं रखेगा/फेंकेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण उत्पन्न हो, जो मानव जीवन पशुजीवन के लिए घातक हो तथा जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो।

6–पालिका क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सामान की पैकिंग्स पर आने वाला पॉलीथीन/गत्ता/चिल्ला जो भी हो, क्रेता/बिक्रेता अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा तथा पालिका के सफाई कर्मी को उसकी ड्यूटी के दौरान उसके सुपुर्द करेगा, जिसे ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध व हथालन) नियम–2000 के अनुसार पालिका द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

7–सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली पैक में आते हों, जैसे रबर किस्म चिल्ला, चाय पत्ती के खाली रैपर्स, पराग दूध या इसी प्रकार दूध के अन्य रैपर्स, बिस्कुट पैकेटों के पॉली पैक रैपर्स/खाली डिब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटकों आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जाते हैं, को ऐसे सामान का क्रेता/बिक्रेता/मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा, जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पालिका के सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा, जिसे पालिका द्वारा उपनियम 6 में उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

8–पालिका सीमान्तर्गत प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में पॉलीथीन की थैली/कैरीबैग/पैकेट/डिब्बे/रैपर्स, जो कि पॉलीथीन की श्रेणी में हो और जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, पालिका की सड़कों/गलियों या खुले स्थान/सार्वजनिक स्थान में नहीं फेंकेगा, बल्कि पालिका के डस्टविन्स/कन्टेनर में ही डाल सकेगा।

9–पालिका सीमान्तर्गत जिस किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों भवन स्वामियों/किरायेदारों, कुलियों, मजदूरों के अगल–बगल, जिसकी सीमान्तर्गत ऐसे पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का पॉलीपैक जैसे पराग दूध के अनुपयोगी रैपर्स या इसी प्रकार का अन्य अनुपयोगी पॉलीपैक सामग्री जिससे गन्दगी उत्पन्न हो और होने की सम्भावना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा।

शास्ति

1–जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसायी/दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत जारी आदेशों का उल्लंघन किया जायेगा, वह 5000/– रु0 (पांच हजार रुपये) जुर्माने अथवा 1 माह के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह 100/– रु0 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा।

2–जो कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी/दुकानदार इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने, अपराध में सहायता, दुष्प्रेरण करता है, या उपसाधक है, वह दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिए चिन्हित कारावास से दण्डित किया जायेगा।

3–नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पालिका को कोई भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिए तात्कालिक रूप से 500/– रु0 (पांच सौ रुपये मात्र) तक नकद रूप में अर्थदण्ड ले सकते हैं।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 हिन्दी गजट/314–भाग 8–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।